



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार म. प्र. परिमण्डल भोपाल

क्रमांक :एस.आर.-67/यूनियन/रिकग्नाइज्ड/मेन/बीएसएनएलईयू/चेष्ट- 11/2016-17/68 दिनांक 23/05/2017

प्रति,

सभी बिजिनेस एरिया/ एसएसए प्रमुख, म.प्र. परिमंडल।

प्रमुख महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.) / प्रमुख महाप्रबंधक (एनओपी-सीएम),

प्रमुख महाप्रबंधक (एनपीडी-सीएफए) / प्रमुख महाप्रबंधक (एनडब्लूओ-सीएफए),

महाप्रबंधक(वित्त),परिमंडल कार्यालय,

विषय : बीएसएनएलईयू का ज्ञापन एवं समस्याओं के समाधान विषयक् ।

संदर्भ : पत्र क्रमांक : BSNL/MP CIRCLE/AGITAION/5 Date : 17/05/2017.

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा परिमंडल सचिव, बीएसएनएलईयू ने समस्याओं से अवगत कराया है एवं उठाये गए मुद्दों के समाधान के लिए लिखा है (संदर्भित पत्र संलग्न है।)

इसी तारतम्य में मुझे आपसे निवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है कि कृपया निम्नानुसार संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 25/05/2017 तक इस कार्यालय को ई - मेल sdesrmp@gmail.com एवं फेक्स नं. 0755-2557903 पर प्रेषित करने की कृपा करें।

सभी बिजिनेस एरिया/ एसएसए प्रमुख - बिन्दु क्रमांक - 1,2,9,10

प्रमुख महाप्रबंधक दूरसंचार जिला भोपाल - बिन्दु क्रमांक - 4,5,14

प्रमुख महाप्रबंधक दूरसंचार जिला इन्डौर - बिन्दु क्रमांक - 4

प्रमुख महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जबलपुर- बिन्दु क्रमांक - 4,13,15

प्रमुख महाप्रबंधक दूरसंचार जिला ग्वालियर- बिन्दु क्रमांक - 4,15

महाप्रबंधक दूरसंचार जिला उज्जैन - बिन्दु क्रमांक - 6

क्षेत्रिय महाप्रबंधक जबलपुर / दूरसंचार जिला प्रबंधक सतना - बिन्दु क्रमांक -11

क्षेत्रिय महाप्रबंधक भोपाल/ दूरसंचार जिला अभियंता दमोह - बिन्दु क्रमांक -7

दूरसंचार जिला प्रबंधक नरसिंहपुर एवं मंदसौर - बिन्दु क्रमांक -15

प्रमुख महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.) - बिन्दु क्रमांक -3,5,8,12,16,17

प्रमुख महाप्रबंधक (एनओपी-सीएम) - बिन्दु क्रमांक -2

प्रमुख महाप्रबंधक (एनपीडी-सीएफए) - बिन्दु क्रमांक -4,9

प्रमुख महाप्रबंधक (एनडब्लूओ-सीएफए) - बिन्दु क्रमांक -7

महाप्रबंधक(वित्त) - बिन्दु क्रमांक -6

यह पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सहायक महाप्रबंधक (संगठन एवं प्रबंधन)
मध्य प्रदेश परिमंडल
भोपाल-15



BSNLEU

BSNL EMPLOYEES UNION

Main Recognised Representative Union in BSNL
(Regd. under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No. 4896)

B.S. RAGHUVANSHI
 Circle President

PRAKASH SHARMA
 Circle Secretary

पत्र क्रमांक : BSNLEU/MP CIRCLE/AGITATION/5

Date : 17.05.2017

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,
 मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल,
 भारत संचार निगम लिमिटेड,
 भोपाल

विषय : समस्याओं के निराकरण हेतु आंदोलन।

माननीय महोदय,

मध्यप्रदेश परिमंडल में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है। इन समस्याओं के लिए आपको समय समय पर विस्तार से पत्र लिख कर, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, समस्याओं के निदान हेतु अनुरोध किया गया है। 10.10.2016 को आपकी उपस्थिति में मीटिंग भी हुई है। किंतु समस्याएं यथावत हैं। हमारे विभिन्न पत्रों के जवाब में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षर कागजी खानापूर्ति मात्र है। स्पष्ट है कि प्रबंधन समस्याओं के निदान के प्रति गंभीर नहीं है। वित्तीय व अन्य टार्गेट्स को पूर्ण करने में बीएसएनएल इयू ने प्रबंधन को पूर्ण सहयोग किया है। समस्या निदान न होने से सदस्यों के आक्रोश के बावजूद हमने बीएसएनएल की रिवाइवल को प्राथमिकता दी है। किंतु समस्याओं के प्रति प्रबंधन की चुप्पी और हमारी खामोशी जुर्म सी लगने लगी है। फलस्वरूप प्रबंधन की जायज मुद्दों के प्रति उदासीनता की वजह से हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। इस आंदोलन के लिए सर्कल प्रबंधन पूर्ण रूप से दोषी है। आंदोलन हेतु 6.5.2017 को आवश्यक नोटिस आपको दिया जा चुका है। इस नोटिस के साथ विभिन्न समस्याओं के लिए पूर्व में विस्तार से लिखे गए लगभग 10 पत्र भी त्वरित सन्दर्भ के लिए संलग्न किए गए हैं। सभी समस्याओं को समेकित कर पुनः आपको प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) ...स्वच्छ बीएसएनएल अभियान एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

बीएसएनएल के कार्यालय, एक्सचेंज, प्रांगण में सफाई व्यवस्था की दुरावर्षथा से प्रबंधन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। परिमंडल कार्यालय से भी यूनियन द्वारा प्रेषित पत्रों के पश्चात् एसएसए हेड्स को कई पत्र लिखे गए हैं। किंतु इसका किंचित भी असर एसएसए में हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। 10 अक्टूबर 2016 को आपके साथ हुई मीटिंग में लिए गए निर्णय अनुसार किसी भी एसएसए में सफाई व्यवस्था एवं सुविधाओं की उपलब्धता की जाँच हेतु सर्कल ऑफिस से पर्यवेक्षक को नहीं भेजा गया है। अभी भी सर्वत्र गन्दगी व्याप्त है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सफाई व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त करने हेतु आवंटित राशि कहाँ खर्च हो रही है इसकी जाँच जरुरी है एवं दुरुपयोग हेतु कार्यवाही भी।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत हेतु देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और इधर हमारे परिमंडल में कार्यस्थलों पर व्याप्त गन्दगी की प्रबंधन द्वारा अनदेखी उनके अभियान की घज्जियाँ उड़ा रही हैं। क्या स्वच्छ बीएसएनएल हेतु हमें पीएमओ का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ?

स्वच्छ कार्ययोग्य वातावरण एवं मूलभूत सुविधाओं की कार्यस्थल पर उपलब्धता हमारा अधिकार है और इनकी पूर्ति करना प्रबंधन की जिम्मेदारी। इस हेतु वांछित कार्यवाही की जाए।

(2) ...नेटवर्क की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना बनाई जाए

परिमंडल में नेटवर्क की समस्या से प्रबंधन को अवगत करवाया गया था। इस दिशा में परिमंडल कार्यालय द्वारा प्रयास भी किए गए हैं, कुछ हद तक सुधार भी हुआ है। पचमढ़ी में नेटवर्क सुधार हेतु परिमंडल प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही हेतु धन्यवाद। किंतु अभी भी कुछ जगह पुअर नेटवर्क की समस्या विद्यमान है। डाटा वातावर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। आतंरिक स्थानों पर अभी भी गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं को और अधिक बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु गंभीर प्रयासों की जरूरत है।

हमारी परिमंडल यूनियन ने सभी एस.एस.ए. से नेटवर्क की स्थिति जानना चाही थी। हमारे जिला सचिवों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि नेटवर्क की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से रिलायंस जियो के पदार्पण पश्चात् पुख्ता नेटवर्क ही हमारे ग्राहकों को हम से जोड़कर रख सकता है। अतः नेटवर्क के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक संख्या में BTS, BTS का युक्तियुक्तकरण, BTS के रखरखाव हेतु संसाधन की उपलब्धता एवं BTS की परिणाम मूलकता सुनिश्चित करना जरुरी है।

(3) ...Rule 8 ट्रांसफर शीघ्र किए जाएं

Rule 8 के अंतर्गत सभी कैडर्स में कर्मचारियों के ट्रांसफर लंबित है। इस सम्बन्ध में चर्चा किए जाने पर प्रबंधन द्वारा मार्च 2017 पश्चात् ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने का आश्वासन दिया गया था। किंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं/मजबूरियों/आवश्यकताओं के चलते ट्रांसफर के इच्छुक कर्मचारी अनावश्यक विलम्ब से निराश हैं। प्रबंधन द्वारा ट्रांसफर हेतु लागू किए गए क्राइटरिया के आधार पर किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर संभव नहीं है। हमारी मांग है कि इच्छित कर्मियों के ट्रांसफर आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।

(4) ...NGN एक्सचेंज की शुरुआत पश्चात् ग्राहकों के पलायन के कारणों की जाँच की जाए..
इंदौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर जैसे शहरों में ऐन मार्च के महीने में दबाव निर्मित कर उपभोक्ताओं को उन्नत सुविधा देने के नाम पर वर्तमान प्रणाली के एक्सचेंज को NGN एक्सचेंज में परिवर्तित किया गया। नई तकनीक होने से मार्च में नए कनेक्शन लगाने में भी दिक्कतें महसूस हुईं, प्रॉपर पलायन को प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसकी जाँच की जाए। NGN की तकनीकी समस्याओं के निदान हेतु ठोस प्रयास किए जाएं जिससे कि उपभोक्ताओं को NGN तकनीक का लाभ मिल सके।

(5) ...सर्कल ऑफिस में कार्यरत कर्मियों की ट्रांसफर के नाम पर की जा रही मानसिक प्रताङ्गना पर स्थाई रूप से रोक लगाएं....
जीएमटी भोपाल के कुछ कर्मचारियों को बरसों पूर्व सर्कल ऑफिस में डेपूटेशन पर भेजा गया था। वे एक लंबे समय से सर्कल ऑफिस में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। किन्तु विगत कुछ वर्षों से उनके डेपूटेशन कैंसल कर उठे हैं। जीएमटी भोपाल में पदस्थ करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताङ्गित किया जाता रहा है। पूर्व में लगभग सभी सीजीएम के समक्ष इन कर्मचारियों की सीजीएम ऑफिस में आवश्यकता को देखते हुए इनके स्थानांतरण न किए जाने की मांग रखी जाती रही है और सभी सीजीएम इन कर्मचारियों के स्थानांतरण न करने हेतु सहमत हुए हैं। आप से भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और आप भी स्थानांतरण न करने हेतु सहमत थे। किन्तु हाल ही में कुछ कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गए हैं। इन कर्मियों को फील्ड के कार्य का अनुभव नहीं है, अधिकांश रिटायरमेंट की कगार पर हैं, ऐसे में उनके ट्रांसफर का कोई औचित्य नहीं है। यह एक तरह की मानसिक प्रताङ्गना है। हम इसका विरोध करते हैं। इस प्रकरण का स्थाई रूप से पटाक्षेप किया जाए।

(6) ...श्री मनोज शर्मा, उज्जैन के ईपीएफ प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए
श्री मनोज शर्मा के ईपीएफ प्रकरण में काफी पत्राचार किया गया है। हाल ही में असिस्टेंट प्रोविडेंट फण्ड कमिशनर ने श्री मनोज शर्मा की ईपीएफ राशि तत्काल प्रबंध से जमा करने के निर्देश दिए हैं। एरियर की राशि कर्मचारी से न वसूले जाने के भी स्पष्ट निर्देश पत्र में है। इसके बावजूद प्रबंधन इस प्रकरण में अडियल रवैया अखियार किए हुए हैं। राशि जमा करने में विलम्ब की स्थिति में बीएसएनएल द्वारा देय पेनल्टी राशि में वृद्धि की भी चिंता प्रबंधन को नहीं है। हमारी मांग है कि श्री मनोज शर्मा की ईपीएफ राशि अविलंब पीएफ कार्यालय में जमा कराएं। साथ ही जिन अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से राशि जमा करने में हो रहे विलम्ब से अतिरिक्त पेनल्टी बीएसएनएल पर थोपे जाने की वजह से होने वाले राजस्व के नुकसान हेतु रिस्पॉन्सिविलिटी फिक्स की जाए।

(7) ...दमोह के स्टोर में लगी आग से हुए नुकसान का आकलन एवं आग लगवे के कारणों की जाँच की जाए
दमोह बीएसएनएल ईयू के जिला सचिव द्वारा दमोह के स्टोर में चौकीदार पदस्थ करने की मांग की गयी थी। किन्तु प्रबंधन द्वारा उनकी मांग को अनदेखा किया गया और चौकीदार / सिक्योरिटी गार्ड के न होने से स्टोर में भीषण आग की घटना घटित हुई। इसमें प्रथम दृष्ट्या प्रबंधन की स्पष्ट लापरवाही झलकती है। इस प्रकरण की जाँच की जाए, नुकसान का आकलन किया जाए और दोषियों पर कार्यवाही की जाए। भविष्य में यूनियन के सुझावों की कहीं भी अनदेखी न हो इस हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।

(8) ...लक्ष्यपूर्ति (टारगेट अवैरियेंट) में सहयोगी कर्मचारियों का सम्मान किया जाए
मध्यप्रदेश परिमंडल को प्रदत्त विभिन्न टार्गेट्स यूनियन एवं एसोसिएशन्स, प्रबंधन, कर्मचारियों, अधिकारियों के साझा प्रयासों से परिमंडल पूर्ण करने में सफल रहा है। इस उपलब्धि का जश्न परिमंडल कार्यालय में जोरशोर से मनाया गया है। क्या इस उपलब्धि में परिमंडल के अन्य कर्मचारियों का योगदान योगदान है? इस योगदान को भुला कर उपलब्धियों के श्रेय को एयरकंडिशन ऑफिस में बैठने वाले अधिकारियों तक क्यों सीमित कर दिया गया है? यह स्थिति स्वीकारयोग्य नहीं है।

उपलब्धियों के लिए जीएमटी भोपाल एवं इंदौर ने गरिमामय कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों— अधिकारियों को सम्मानित जरूर किया है। उनका इस सुझाव बूझ हेतु आभार। हमारी मांग है कि ऐसे आयोजन सभी एसएसए में किए जाएं।

(9) ...फील्ड स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरणों/सामग्री का प्रदान
विभिन्न एस.एस.ए. में हमारे प्रतिनिधियों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फिल्ड स्टाफ को मैटेनेंस हेतु आवश्यक सामग्री/उपकरण सुलभता से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा प्रायः बताया जाता है कि आवश्यक सामग्री/उपकरण की पूर्ति हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। परिमंडल प्रबंधन द्वारा सभी एस.एस.ए. प्रमुखों को आवश्यकतानुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। परिमंडल प्रबंधन एवं एस.एस.ए. प्रमुखों के बयान प्रायः विरोधाभासी होते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि केबल मैटेनेंस/लाईन मैटेनेंस हेतु संसाधनों का अभाव है। केबल कटने के तुरंत बाद संयोजन होना जरूरी है। ज्यादा जरूरी है।

(10) ...कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स: श्रम कानूनों का पूर्ण पालन हो
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस से EPF/ESI की सुविधा, भुगतान में विलम्ब, चेक द्वारा वेजेस का भुगतान, उचित वेजेस आदि मुद्दों पर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहें हैं। श्रम कानूनों का पालन करने हेतु भी आदेशित किया जाता रहा है। किन्तु परिमंडल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का है। बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का प्रिन्सिपल एम्प्लायर है और श्रम कानूनों का पालन करवाना बीएसएनएल की जिम्मेदारी है। अतः परिमंडल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि सभी एसएसए में कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हो। न होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए।

(11) ...सतना की समस्याओं का निदान किया जाए
हमारी यूनियन की सतना ईकाई को सतना में बीएसएनएल सेवाओं में लगातार हो रही गिरावट, नेटवर्क की शोचनीय स्थिति, रेवेन्यू में कमी जैसे मुद्दों पर प्रबंधन की उदासीनता की वजह से मजबूरन आंदोलन करने के लिए कई बार बाध्य होना पड़ा है। वहां की स्थिति से परिमंडल प्रबंधन भी पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। विलम्ब से ही सही, प्रबंधन के इस कदम के लिए धन्यवाद। नवागत जिला प्रबंधक को हमारे जिला सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेंडे पर शीघ्र सकारात्मक समयबद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाए। इस दौरान बीएसएनएल के उन्नयन एवं सेवाओं में सुधार हेतु संघर्ष करने वाले हमारे

जिला सचिव की आवाज को दबाने की कोशिश स्थानीय अधिकारियों ने की थी। इस कुत्सित प्रयास की जाँच की जाए एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(12) ...वॉन रिकूटिंग यूनिट्स से स्थानांतरण न हो

कठिपय एसएसए नॉन रिकूटिंग यूनिट्स (WTP/WTR) से नॉन एंजीक्यूटिव को पुनः अपने एसएसए में स्थानांतरित करने हेतु प्रयासरत हैं। इस संबंध में हमारे WTP के जिला सचिव कॉम एस सी खारे के पत्र के आधार पर परिमंडल सचिव द्वारा पत्र लिख कर परिमंडल प्रबंधन को कर्मचारियों के रोप के पैरा 8 के अंतर्गत विशेष शर्त के साथ आदेश जारी हुए थे एवं परिमंडल कार्यालय की अनुमति के बगैर कोई भी एसएसए स्थानांतरण आदेश जारी नहीं कर सकता।

नॉन रिकूटिंग यूनिट्स में कार्याधिकारी के मद्दे नजर वहां से स्थानांतरण करना वैसे भी औचित्यहीन है। किसी एक अधिकारी की हठधर्मिता की वजह से नॉन रिकूटिंग यूनिट्स के कर्मचारियों को परेशान करना न्यायोन्नियत नहीं है। इस पर रोक लगावें।

(13) ...जबलपुर के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही हो

जबलपुर के पूर्व प्रबंधन के समस्या निदान में नकारात्मक रवैये को लेकर परिमंडल सचिव, बीएसएनएल ईयू द्वारा आपको दिनांक 22.6.2016 को एक पत्र दिया गया था। पत्र में महिला उत्पीड़न, नकली हस्ताक्षर वाले सदस्यता फॉर्म की जाँच, यूनियन्स के बीच विवाद निर्मित करने की प्रवृत्ति, समस्याओं की अनदेखी, मेडिकल स्कैम की जाँच जैसे मुद्दे शामिल थे। यह अफसोस जनक है कि अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है।

उपर्युक्त के अलवा हमारी यूनियन की जबलपुर ईकाई द्वारा प्रस्तुत समस्याएं भी लंबित हैं। साथ ही, अनुकंपा नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने एवं भ्रष्टाचार की जाँच की मांग करने वाले हमारे जिला सचिव को ही प्रबंधन द्वारा आरोपों में लिप्त करने की कोशिश की गई है। यह निराशा जनक है, निंदनीय है, काबिल—ए—बर्दाश्त भी नहीं है। हमारी मांग है कि नवागत महाप्रबंधक के नेतृत्व में सभी प्रकरणों की शीघ्र जाँच हो एवं उचित कार्यवाही भी।

(14) ...जीएमटी भोपाल के प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगावें

जीएमटी भोपाल प्रबंधन द्वारा यूनियन को लड़वा कर औद्योगिक शांति भंग करने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। मध्यप्रदेश परिमंडल में प्रबंधन के मनमाने पूर्ण रवैये के विरोध में जितने आंदोलन भोपाल जिले में हुए हैं उतने शायद ही किसी अन्य एसएसए में हुए हो। अनावश्यक, गैरजरुरी, नियम विरुद्ध औद्योगिक शांति आहत होती है, कार्यसंस्कृति विपरीत रूप से प्रभावित होती है, आपसी विवाद की स्थिति निर्मित होती है और अत्याधिक मानसिक प्रताङ्गना कर कर्मचारियों के लिए भयमुक्त कार्य वातावरण निर्मित करें।

(15) अब्य मुद्दे

...10.10.2016 की मीटिंग में लिए गए निर्णय अनुसार परिमंडल प्रबंधन ने ग्वालियर, नरसिंहपुर, जबलपुर एवं मंदसौर के बीएसएनएल ईयू के जिला सचिवों द्वारा दिए गए एजेंडे पर कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित एसएसए प्रमुखों को निर्देशित किया था। किन्तु पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है।

(16) ...पदनाम परिवर्तन

सभी नॉन एकजीक्यूटिव कर्मियों के नए पदनाम ई आर पी में भी परिवर्तित हो चुके हैं, यह सुनिश्चित किया जाए।

(17) ... क्वार्टर मेट्रेनेस के नाम पर अतिरिक्त वसूली न की जाए

हमारे विभिन्न एसएसए में कार्यरत सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के लिए इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में क्वार्टर किराये पर लिए हैं। इन कर्मचारियों से मेट्रेनेस के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। यह वसूली बीएसएनएल के अतिरिक्त अन्य पीएसयू के कर्मियों से लिए जाने के निर्देश हैं। ये निर्देश बीएसएनएल कर्मियों पर लागू नहीं होते। अतः इस पर रोक लगाएं, अतिरिक्त राशि रिफंड की जाए।

उपर्युक्त लगित्रित मांगों के निराकरण में सर्कल प्रबंधन की अनदेखी के खिलाफ परिमंडल सर पर किए जा रहे आंदोलन की रूपरेखा निम्नानुसार है।

19 मई 2017 – कालीपट्टी लगाकर कार्य

22 मई 2017 – एसएसए में जंगी प्रदर्शन

27 मई 2017 – सी जी एम आफिस के समक्ष दोपहर 12 बजे से 04 बजे तक धरना एवं रोषपूर्ण प्रदर्शन

इसके बाद आन्दोलन को और उग्र करने का निर्णय 27 मई को धरना स्थल पर ही लिया जायेगा। धरना प्रदर्शन में परिमंडल के सभी एसएसए के जिलासचिव अपने साथियों के साथ शिरकत करेंगे।

भवदीय

प्रकाश शर्मा
सर्कल सेक्रेटरी

प्रतिलिपि :

1. कॉ. बी.एस. रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष, बीएसएनएलईयू
2. कॉ. पी अभिमन्यु, महासचिव, बीएसएनएलईयू, नई दिल्ली
3. कॉ. जगदीश सिंह, सीएचक्यू उपाध्यक्ष, बीएसएनएलईयू
4. सभी जिला सचिव
5. सभी एस.एस.ए. प्रमुख